प्रारंभिक परीक्षा

दक्षिण के शिल्पों को सम्मानित करने के लिए 'एट होम' के लिए राष्ट्रपति का निमंत्रण

संदर्भ

'एट होम' के लिए आमंत्रित लोगों को कार्ड के साथ पांच दक्षिणी राज्यों - तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से शिल्पकला का एक विशेष रूप से तैयार किया गया बॉक्स मिलेगा।

आमंत्रितों के लिए तैयार किए गए GI टैग उत्पादों के बारे में -

पेंसिल पाउच पर पोचमपल्ली इकत 	• **पोचमपल्ली इकत एक बुनाई तकनीक और शैली है जिसकी उत्पत्ति तेलंगाना के यादाद्रि-भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली गांव में हुई थी।** • यह लाल, काले और सफेद रंग में अपने बोल्ड, ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाना जाता है। पैटर्न में अक्सर फूल, पक्षी और जानवर शामिल होते हैं।
मैसूर गंजिफा फ्रिज मैगनेट 	• **गंजिफ़ा में ताश खेलने में देखी गई जटिल कला से प्रेरित।** • मैसूर गंजिफ़ा मैसूर (कर्नाटक) का एक पारंपरिक कार्ड गेम और कला रूप है जो जटिल डिजाइन और हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ रणनीतिक गेमप्ले को जोड़ता है। • **इस खेल का आविष्कार 19वीं शताब्दी में मैसूर के शासक मुमुदी कृष्णराज वोडेयार तृतीय ने किया था।**
कांजीवरम सिल्क पाउच 	• **कांजीवरम सिल्क एक प्रकार की रेशम साड़ी है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में हुई थी।** • यह अपने चमकीले रंगों, विस्तृत डिज़ाइन और मोटे कपड़े के लिए जानी जाती है।
एटिकोप्पका खिलौने 	• **इन्हें एटिकोप्पका बोम्मालू के नाम से भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश के कारीगर एटिकोप्पाका द्वारा बनाए गए पारंपरिक लकड़ी के खिलौने हैं।** • एटिकोप्पका गुड़िया **अंकुडु नामक नरम लकड़ी से बनाई जाती हैं** और बीज, छाल, जड़ों, पत्तियों और लाख से प्राकृतिक रंगों से रंगी जाती हैं।

स्क्रूपाइन बुकमार्क	• **स्क्रू पाइन शिल्प केरल का एक पारंपरिक कुटीर उद्योग है।** • **इसमें स्क्रू पाइन पौधे की पत्तियों से चटाई, दीवार पर लटकने वाले सामान और अन्य सामान बुनना शामिल है।** • **केरल** में महिलाओं द्वारा इस शिल्प का अभ्यास 800 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। • **स्क्रू पाइन का पौधा केरल में नदियों, नहरों और तालाबों के किनारे जंगली रूप से उगता है।** • पत्तियां रेशेदार होती हैं तथा दोनों किनारों पर नुकीले कांटे होते हैं। जड़ों का उपयोग पेंट ब्रश बनाने में किया जाता है।

स्रोत: **The Hindu - Crafts from south**

मुख्य चुनाव आयुक्त की नई नियुक्ति प्रक्रिया

संदर्भ

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 ने मुख्य चुनाव आयुक्त(CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में -

- **अनुच्छेद 324**: इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह संसदीय कानून के अधीन होगा (यदि ऐसा कानून मौजूद है)।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: 2023 में, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले** में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों की प्रक्रिया को बदल दिया ताकि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।
    - इसने प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करते हुए एक समिति बनाई।
    - यह समिति चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर सिफारिशें करेगी और राष्ट्रपति को सलाह देगी जब तक कि संसद इस विषय पर एक अलग कानून नहीं बना देती।
- **2023 अधिनियम में परिवर्तन:**
    - मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया।
    - दो वर्तमान चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इसी प्रावधान के तहत नियुक्त किया गया था।

पारंपरिक प्रथा और लाए गए परिवर्तन

- **पारंपरिक प्रथा:** मुख्य चुनाव आयुक्त के उत्तराधिकारी को पारंपरिक रूप से चुनाव आयोग के भीतर से चुना जाता था, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को।
- **नया प्रावधान**: 2023 का अधिनियम चुनाव आयोग के बाहर से भी व्यक्तियों की नियुक्ति की अनुमति देता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाएगी।

2023 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान -

- **धारा 5: पात्रता -** CEC और EC के पद के लिए उम्मीदवार वर्तमान या पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी होने चाहिए।
- **धारा 6: खोज समिति -** विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति विचारार्थ 5 नामों का पैनल तैयार करती है।
    - खोज समिति में दो अन्य सदस्य शामिल हैं, दोनों का पद भारत सरकार के सचिव से नीचे नहीं है।
- **धारा 7: चयन समिति -** चयन समिति में शामिल हैं:
    - **प्रधानमंत्री**
    - **एक कैबिनेट मंत्री**
    - **लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।**
- यह समिति खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से चयन कर सकती है या चुनाव आयोग के बाहर "किसी अन्य व्यक्ति" पर विचार कर सकती है।

स्रोत: **Indian Express - selection process for next Chief Election Commissioner casts wider net**

BNSS की धारा– 479

संदर्भ

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)** की धारा 479 को लागू करने का निर्देश दिया है।

BNSS की धारा 479 के बारे में -

- **इसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करना तथा जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटना है।**
- यह पात्र विचाराधीन कैदियों को उनकी पहले से काटी गई सजा के आधार पर रिहा करने की अनुमति देकर लंबी अवधि तक हिरासत में रखने की अवधि को कम करने पर केंद्रित है।
- यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (**CrPC**) की धारा 436-A पर आधारित है।
- **धारा 479 के प्रमुख प्रावधान:**
    - **रिहाई के लिए पात्रता:**
        - **पहली बार अपराध करने वाले:** अपनी अधिकतम संभावित सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पर रिहाई के लिए पात्र।
        - **अन्य विचाराधीन कैदी:** अपनी अधिकतम संभावित सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद जमानत के लिए पात्र।
    - **जेल प्राधिकारियों की भूमिका:** जेल अधीक्षकों को पात्र कैदियों की रिहाई के लिए अदालत में आवेदन दायर करना होगा।
        - यह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों पर लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार, भारतीय जेलों में बंद 5,73,220 लोगों में से 4,34,302 (75.8%) विचाराधीन कैदी हैं जिनके खिलाफ मामले अभी भी लंबित हैं।

स्रोत: Times of India - Relief to undertrail prisoners

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन को अपनाया है।

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में -

- **साइबर अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन को 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था।**
- **इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और समाज को डिजिटल खतरों से बचाना है।**
- साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन 2025 में हनोई, वियतनाम में हस्ताक्षर के लिए खुलेगा।
- यह साइबर अपराध पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र उपकरण है और 40वें हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुसमर्थन के 90 दिन बाद लागू होगा।

प्रमुख प्रावधान

- यह **साइबर-आश्रित अपराध** (जैसे, हैकिंग) और **साइबर-सक्षम अपराध** (जैसे, ऑनलाइन धोखाधड़ी) के बीच अंतर करता है।
- यह डिजिटल साक्ष्य को परिभाषित करता है तथा इसके संचालन के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करता है।
- **यह निम्नलिखित के लिए एक केंद्रीय निकाय बनाता है:**
    - अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रयासों का समन्वय करना।
    - खुफिया जानकारी और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना।
    - उभरते खतरों और कानूनी घटनाक्रम पर सलाह देना।
- **क्षमता निर्माण:** इसका उद्देश्य साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन प्रदान करके विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
- **रोकथाम:** यह जागरूकता अभियान, शिक्षा और साइबर सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
    - यह कमजोर समूहों (जैसे, बच्चों) को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन

- **इसकी स्थापना 2001 में यूरोप काउंसिल द्वारा की गई थी और 2004 में यह प्रभावी हो गया।**
- यह सीमा पार साइबर अपराध जांच की सुविधा प्रदान करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- **भारत साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।**

स्रोत: **United Nations - Making the digital and physical world safer**

केंद्र ने केरल को वायनाड पुनर्वास के लिए SDRF फंड का उपयोग करने की अनुमति दी

संदर्भ

केंद्र सरकार ने केरल को वायनाड भूस्खलन से बचे लोगों के पुनर्वास के लिए SDRF से 120 करोड़ रुपये का उपयोग करने की अनुमति दी है।

आपदा प्रतिक्रिया निधि के बारे में -

- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष(NDRF):**
  - **इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम एक्ट) की धारा-46 के तहत परिभाषित किया गया है।**
  - यह किसी भी आपदा की स्थिति या संकट के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।
  - **NDRF राशि का उपयोग केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।**
  - NDRF एक सार्वजनिक खाता है। इसे विभिन्न माध्यमों से वित्तपोषित किया जाता है:
    - **कुछ वस्तुओं पर उपकर:** कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है तथा यह उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अधीन होता है।
    - **बजटीय सहायता:** NDRF को अतिरिक्त बजटीय सहायता भी मिलती है।
    - **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD):** यह तम्बाकू उत्पादों सहित कुछ वस्तुओं पर लगाया जाने वाला उत्पाद एवं सीमा शुल्क है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) NDRF से होने वाले खर्चों पर निर्णय लेती है।**
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):**
  - **SDRF की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत की गई है।**
  - केन्द्र सरकार SDRF में निम्नानुसार योगदान देती है:
    - **सामान्य श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:** 75%
    - **विशेष श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:** 90%
  - **SDRF निम्नलिखित आपदाओं को कवर करता है:** चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला तथा पाला और शीत लहर।
  - **स्थानीय आपदा:** राज्य सरकार SDRF के तहत उपलब्ध धनराशि का 10% तक उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

स्रोत: [The Hindu - Kerala to use SDRF funds for Wayanad rehabilitation]

निमेसुलाइड प्रतिबंध - गिद्धों को बचाने की दिशा में एक और कदम

संदर्भ

केंद्र सरकार ने दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि शोध में यह पुष्टि हो गई है कि यह गिद्धों के लिए घातक है।

निमेसुलाइड और गिद्धों पर इसके प्रभाव के बारे में -

- **यह एक गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी दवा (NSAID) है जिसका व्यापक रूप से दर्द और सूजन से राहत के लिए उपयोग किया जाता है।**
- यह न केवल गिद्धों को प्रभावित करता है, बल्कि मनुष्यों के लिए भी उपयुक्त नहीं है।
- इसे **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** की **धारा 26A के तहत प्रतिबंधित किया गया है।**
- **गिद्धों के लिए खतरे के कारण प्रतिबंधित दवाएं:** डिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन, एसीक्लोफेनाक और निमेसुलाइड।

गिद्धों की संख्या में कमी लाने वाले प्रमुख मुद्दे -

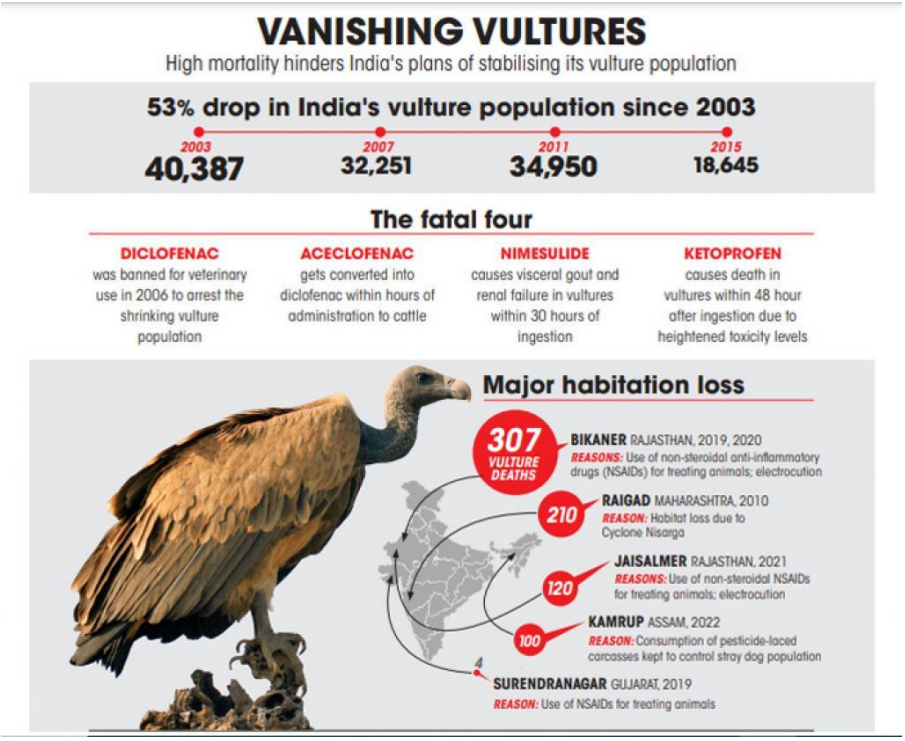

- **जनसंख्या पतन:**
  - हाल के दशकों में सफेद पूंछ वाले गिद्धों की आबादी में 99% से अधिक की गिरावट आई है।
  - इसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में NSAIDs का प्रयोग है, विशेष रूप से **डाइक्लोफेनाक** और **निमेसुलाइड जैसी दवाएं**, जो **गिद्धों के लिए विषाक्त** हैं।
- जब गिद्ध उपचारित पशुओं के शवों को खाते हैं, तो NSAIDs के सेवन से निम्नलिखित परिणाम होते हैं:
  - **गुर्दे की क्षति** (आंत संबंधी गाउट द्वारा संकेतित)।
  - विषाक्तता के कारण उच्च मृत्यु दर।

स्रोत: [The Hindu - Nimesulide ban yet another step toward saving vultures]
[Down to Earth]

समाचार में स्थान

सूडान

- **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)** के अनुसार, युद्धग्रस्त सूडान में इस वर्ष पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 3.2 मिलियन बच्चों को गंभीर कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है।

- **अवस्थिति:** पूर्वोत्तर अफ्रीका (**राजधानी-खार्तूम)**
- **सीमावर्ती देश:** मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और लीबिया।
- **सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।**
- **प्रमुख नदियाँ:** ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल और अर्बाटा।
- **न्युबियन रेगिस्तान:** उत्तरपूर्वी सूडान में चट्टानी, शुष्क रेगिस्तान।
- **प्रमुख बंदरगाह:** पोर्ट सूडान, ओसैफ पोर्ट और सुआकिन पोर्ट।
- **संघर्ष क्षेत्र:**
  - **दारफुर क्षेत्र:** अरब और अफ्रीकी समुदायों के बीच चल रहा गृह युद्ध।
  - **अबेई क्षेत्र:** दक्षिण सूडान और सूडान के बीच विवादित क्षेत्र। **यह तेल समृद्ध क्षेत्र है।**

स्रोत:[The Hindu - Acute malnutrition]

चाड

- हाल ही में चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ। जब यह घटना हुई तब राष्ट्रपति महामत देबी इत्नो महल के अंदर थे।

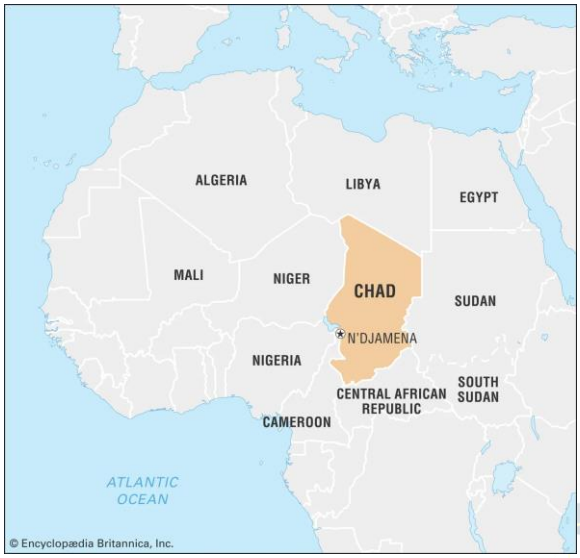

- **अवस्थिति:** उत्तर-मध्य अफ्रीका में स्थलरुद्ध देश।
- **सीमावर्ती देश:** लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर।
- **यह एक अर्ध-रेगिस्तानी देश है, जो सोने और यूरेनियम से समृद्ध है।**
- इसकी **सबसे ऊँची चोटी माउंट कौसी** (एमी कौसी) है। यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है।
- **प्रमुख नदियाँ:** चारी और लोगोने।
- **चाड झील: नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून** के संगम पर स्थित है।

स्रोत:[The Hindu - Attack on Chad presidential palace]

मेक्सिको की खाड़ी

- हाल ही में अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने **मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव रखा।**
- **अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन (IHO)** समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल के लिए नामकरण परंपराओं को नियंत्रित करता है।
    - लेकिन IHO के निदेशक जॉन न्यबर्ग ने स्पष्ट किया कि **समुद्री क्षेत्रों का नाम बदलने के लिए कोई औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं है।**

- **सीमावर्ती देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा।
- यह फ्लोरिडा जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ता है।
- गर्म पानी और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण यह तूफान और बवंडर के प्रति संवेदनशील है।
- **प्रमुख नदियाँ:** मिसिसिपी और रियो ग्रांडे।
- **संसाधन:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं मत्स्य पालन का प्रमुख स्रोत।

स्रोत: [Indian Express - Gulf of Mexico]

समाचार संक्षेप में

प्रधानमंत्री फ्रांस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10-11 फरवरी, 2025 को पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट में भाग लेंगे।
- शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा पेरिस के ग्रैंड पैलेस में किया जाएगा।
- **इसका उद्देश्य AI पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना तथा वैश्विक नेताओं को नवाचार, विनियमन और AI प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा के लिए एक साथ लाना है।**
- **यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा:** AI में सार्वजनिक रुचि, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और वैश्विक AI शासन।
- **जुलाई 2024 में, भारत ने GPAI (AI पर वैश्विक भागीदारी) के अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया।**

स्रोत: [The Hindu - PM Modi to visit Paris for AI summit next month]

1.5 डिग्री का उल्लंघन

- **समाचार? कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S)** द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, **2024 इतिहास का पहला वर्ष था जब औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था।**

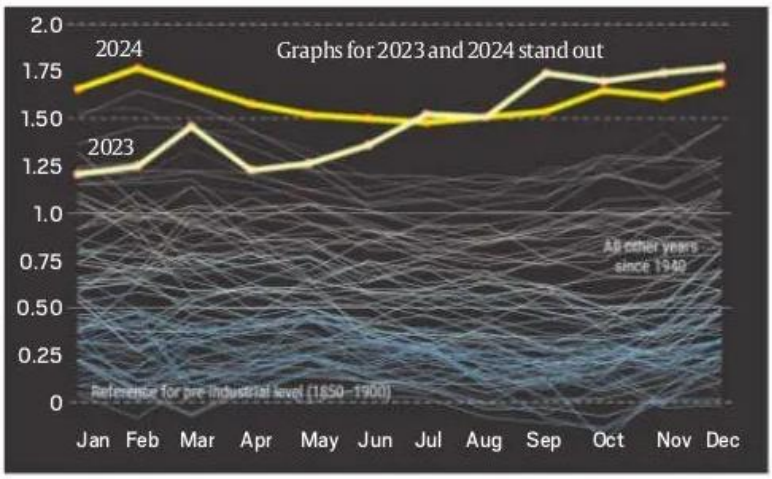

जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) - 1992:** ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) सांद्रता को स्थिर करना।
- **क्योटो प्रोटोकॉल - 1997:** विकसित देशों (अनुलग्नक I पक्ष) को प्रथम प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012) के दौरान 1990 के स्तर से औसतन 5% कम जीएचजी उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जकों ने कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की।
  - **दोहा संशोधन-2012:** क्योटो प्रोटोकॉल को दूसरी प्रतिबद्धता अवधि (2013-2020) के साथ बढ़ाया गया।
- **पेरिस समझौता - 2015:** वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना, तथा इसे पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करना।

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - 1987:** ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समझौता।
    - **किगाली संशोधन (2016)**: ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नियंत्रित पदार्थों की सूची में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) को जोड़ा गया।
- **COP शिखर सम्मेलन (पक्षों का सम्मेलन)**: जलवायु कार्यों पर बातचीत करने के लिए UNFCCC ढांचे के अंतर्गत वार्षिक बैठकें।
    - **COP-21 (2015):** पेरिस समझौते को अपनाना।
    - **COP-27 (2022):** कमज़ोर देशों के लिए हानि और क्षति कोष की स्थापना।
    - **COP-29 (2024):** जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) की स्थापना
- **वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा - 2021:** इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है (2020 के स्तर की तुलना में)।
    - **भारत इस पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।**

राष्ट्रीय युवा महोत्सव - 12 जनवरी

- **यह स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है।**

भारत के युवाओं को सशक्त बनाने की पहल -

- **राष्ट्रीय युवा महोत्सव:** युवा सशक्तिकरण और प्रतिभा का जश्न मनाने वाला वार्षिक कार्यक्रम।
    - इसे "**विकसित भारत युवा नेता संवाद**" के रूप में पुनः परिकल्पित किया गया।
    - राष्ट्रीय एकीकरण, नेतृत्व और सांस्कृतिक विविधता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **मेरा युवा भारत (MY भारत) पहल:** 2023 में स्वायत्त निकाय की स्थापना।
    - इसका उद्देश्य युवा विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
    - युवाओं के नेतृत्व वाली पहल और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **विकसित भारत चैलेंज:** राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली चार-चरणीय प्रतियोगिता।
    - इसमें प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, पिच डेक और एक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप शामिल है।
- **राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014:** पांच उद्देश्य और 11 प्राथमिकता क्षेत्र, जिनमें कौशल विकास, शिक्षा और उद्यमिता शामिल हैं।
    - 2030 तक युवा विकास को लक्षित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक नए रोडमैप की समीक्षा की गई।
- **राष्ट्रीय युवा पुरस्कार:** राष्ट्र निर्माण में व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
    - पुरस्कारों में नकद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव:** युवाओं (18-25 वर्ष) को राजनीतिक संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया।
- **कौशल भारत मिशन:** रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    - व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल:** युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है।
    - स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** डिजिटल साक्षरता और अवसरों के साथ युवाओं को सशक्त बनाता है।
    - डिजिटल उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देता है।

- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** स्वरोजगार उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **फिट इंडिया मूवमेंट:** युवाओं में शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- **उन्नत भारत अभियान:** प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से ग्रामीण विकास में युवाओं को शामिल करना।

संपादकीय सारांश

भारत के रक्षा क्षेत्र में AI एकीकरण

संदर्भ

भारत 2023 में ₹6.21 लाख करोड़ ($75 बिलियन) के रक्षा बजट के साथ AI एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है।

सैन्य AI एकीकरण में प्रगति -

- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अभियानों में AI की क्रांतिकारी क्षमता पर प्रकाश डाला है, जैसे कि पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणालियाँ।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय AI पहलों में भाग लेता है, जो सैन्य AI विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
- **इंद्रजाल स्वायत्त ड्रोन सुरक्षा प्रणाली जैसे AI अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं।**
- **माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना में डेटा सेंटर बनाने के लिए 3 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को दर्शाता है।**

AI परिनियोजन में बाधाएँ -

- **बुनियादी ढांचा और वित्तीय बाधाएँ**: AI प्रणालियों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल डेटा का अभाव।
    - AI-संगत डेटा केंद्रों की उच्च लागत।
    - पुराने विमानों जैसी पुरानी विरासत प्रणालियों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संसाधन सीमित हैं।
- **नीतिगत अंतराल**:
    - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति**: इसमें भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है, लेकिन इसमें विस्तृत कार्यान्वयन तंत्र का अभाव है।
    - **सभी के लिए उत्तरदायी AI**: पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है, लेकिन सैन्य-विशिष्ट AI अनुशंसाओं पर कमी रह गई है।
- **खंडित शासन**: **डिफेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल (DAIC)** और **रक्षा AI परियोजना एजेंसी (DAIPA) जैसी संस्थाएं** अंतराल को दूर करने का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन इनमें प्रत्यक्ष प्रगति नहीं हो पाती।
- **भारत की रणनीतिक स्पष्टता असंगत है:** यद्यपि AI को महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी नेता इसके संभावित जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।
    - विदेश मंत्री ने AI के खतरों की तुलना परमाणु हथियारों से की।
    - प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) के दौरान AI के "अंधकारमय पक्षों" के प्रति चेतावनी दी थी।

अन्य चुनौतियाँ

- **पृथक सशस्त्र बल**: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अलग-अलग सिद्धांत, प्रणालियां और संचार प्रथाएं अंतर-संचालन और संयुक्त संचालन में बाधा डालती हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) पर निर्भरता**: सक्षम निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के उदय के बावजूद, रक्षा विनिर्माण ऐतिहासिक रूप से पीएसयू-प्रधान रहा है।

AI अपनाने के लिए रणनीतिक सिफारिशें

- **नीतियों और रूपरेखाओं को मजबूत बनाना**: AI परिनियोजन और विनियमन के लिए मजबूत दिशानिर्देश लागू करना।
- **अंतर-सेवा साइलो से निपटना**: सशस्त्र बलों में अंतर-संचालनशीलता को बढ़ावा देना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना**: बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रणाली की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की आवश्यकता।
    - **उदाहरण**: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में परिवर्तन एक आदर्श उदाहरण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना**: तकनीकी प्रगति के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ाएं।

स्रोत: **The Hindu: India's journey so far on the AI military bandwagon**

कानूनी MSP मांग

संदर्भ

पंजाब में आंदोलनकारी किसानों द्वारा **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी** की मांग उठाई गई।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होती है, यदि बाजार मूल्य इस पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाता है।**
- सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (**CACP**) की सिफारिश के आधार पर बुवाई सीजन की शुरुआत में MSP निर्धारित करती है।
- **MSP प्रदान करने की प्रक्रिया**:
    - **अनुशंसा चरण**
        - **शामिल संस्था:** कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)
        - **कार्रवाई:** सरकार को वार्षिक मूल्य नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करना
        - **विचारणीय बिंदु:** उत्पादन लागत, मांग-आपूर्ति गतिशीलता, बाजार के रुझान, अंतर-फसल मूल्य संबंध
    - **निर्णय चरण**
        - **शामिल संस्था:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए)
        - **कार्रवाई**: MSP स्तरों की समीक्षा और अनुमोदन
        - **इनपुट:** सीएसीपी की मूल्य नीति रिपोर्ट, राज्य सरकार की राय, राष्ट्रीय मांग-आपूर्ति की स्थिति
    - **खरीद चरण**
        - **शामिल संस्था:** भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां
        - **कार्रवाई:** फसलों की खरीद को क्रियान्वित करना
        - **समय:** रोपण मौसम के प्रारंभ में शुरू होता है।

कानूनी MSP की आवश्यकता

- **मूल्य जोखिम को कम करना**: मौसम, कीट और बीमारियों जैसे अप्रत्याशित कारकों के कारण कृषि स्वाभाविक रूप से जोखिमपूर्ण है।
    - बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिम को कानूनी MSP के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
- **किसानों को कृषि में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना**: उपजाऊ कृषि भूमि का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग तथा गंभीर कृषक परिवारों में गिरावट से कृषि की स्थिरता को खतरा है।
    - कानूनी MSP से स्थिर आय मिल सकती है, जिससे किसान अपनी जमीन को अन्य उपयोगों के लिए बेचने के बजाय खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- **कृषि में निवेश को बढ़ावा देना**: लाभकारी मूल्यों का आश्वासन किसानों को उपज बढ़ाने और लागत कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - **उदाहरण के लिए,** हरित क्रांति को ऐसे आश्वासनों द्वारा समर्थन दिया गया था।
- **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना**: एक कानूनी MSP किसानों को धान जैसी संसाधन-गहन फसलों से हटकर दालों, तिलहनों और मक्का जैसे टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे पर्यावरण क्षरण और जल की कमी को कम किया जा सकता है।

- **कृषि व्यापार को औपचारिक और डिजिटल बनाना**: कानूनी MSP ढांचे के हिस्से के रूप में मूल्य न्यूनता भुगतान (पीडीपी) प्रणाली, औपचारिक और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देगी।
    - किसान बिक्री के लिए रसीद की मांग करेंगे, जिससे कृषि लेनदेन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
- **सामरिक एवं खाद्य सुरक्षा अनिवार्यताएं**: भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी होगी।
    - कानूनी MSP किसानों को अपने कार्यों को जारी रखने और विस्तार देने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।
- **किसान-उपभोक्ता संतुलन को बढ़ाना**: MSP के माध्यम से किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना, खाद्य और कृषि उत्पादों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखकर उपभोक्ता के स्वार्थ के अनुरूप है।

MSP कानून से जुड़ी चुनौतियाँ

- **दंडात्मक कार्रवाई का जटिल कार्यान्वयन**: कानूनी प्रावधानों में MSP से कम मूल्य पर लेनदेन के लिए दंड का प्रावधान हो सकता है।
    - हालाँकि, इन कार्यों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है और इससे खरीदार मूल्य में उतार-चढ़ाव के दौरान विनियमित बाजारों में भाग लेने से कतरा सकते हैं।
- **छोटे और सीमांत किसानों का बहिष्करण**: विनियमित बाजारों तक सीमित पहुंच और कम जोत क्षमता के कारण, 80% से अधिक छोटे किसानों को इन बाजारों के बाहर अक्सर कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
- **काला बाजार का निर्माण**: दंडात्मक उपायों के भय से अनियमित समानांतर बाजार पैदा हो सकते हैं, जिससे कृषि व्यापार की पारदर्शिता और दक्षता और कम हो सकती है।
- **भौगोलिक और बुनियादी ढांचे का अंतर**: विनियमित थोक बाजारों का अपर्याप्त घनत्व (प्रति 450 वर्ग किमी पर एक बाजार बनाम इष्टतम 80 वर्ग किमी) के परिणामस्वरूप छोटे किसान MSP को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए खेत पर ही अपनी उपज बेचते हैं।
- **मूल्य जोखिम से परे आय जोखिम**: MSP कानून मूल्य जोखिम को संबोधित करते हैं, लेकिन बढ़ती लागत या अस्थिर मांग जैसे अन्य जोखिमों के खिलाफ आय को सुरक्षित नहीं करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए**, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च खरीद स्तर के बावजूद किसानों की आय में गिरावट आई है।
- **पर्यावरण और संसाधन संबंधी चिंताएं**: गेहूं और चावल जैसी कुछ फसलों के लिए MSP पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पर्यावरण क्षरण, भूजल में कमी और असंवहनीय कृषि पद्धतियां उत्पन्न हुई हैं।

आगे की राह

- **विविध सहायता तंत्र**: किसानों की आय और आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता (जैसे, पीएम-किसान), मूल्य न्यूनता भुगतान और सीमित खरीद के संयोजन को अपनाना।
- **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना**: प्रोत्साहन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से चावल जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर दालों, तिलहनों और बाजरा जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना।
- **बाजार के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना**: गुणवत्ता में सुधार और बेहतर कीमतों तक पहुंच के लिए विनियमित भंडारण, मानकीकरण और प्रमाणन सुविधाओं से सुसज्जित ग्राम स्तर के बाजारों का विकास करना।
- **भंडारण और वित्तपोषण को मजबूत करना**: विनियमित भंडारण क्षमता का विस्तार करना और किसानों की धारण क्षमता बढ़ाने तथा संकटकालीन बिक्री को कम करने के लिए ई-परक्राम्य गोदाम रसीद (ईएनडब्ल्यूआर) वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- **सब्सिडी नीतियों को पुनः दिशा देना**: असंवहनीय सब्सिडी (बिजली, उर्वरक) से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की ओर संक्रमण, जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों के अनुरूप हो तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करे।

- **कृषि विस्तार को मजबूत करना**: कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालयों को सशक्त बनाना ताकि वे किसानों को टिकाऊ प्रथाओं, नीतिगत निहितार्थों और बाजार के अवसरों के बारे में शिक्षित कर सकें और नीति निर्माताओं के साथ फीडबैक चैनल स्थापित कर सकें।
- **प्रत्यक्ष बाजार संपर्क को सुगम बनाना**: उत्पादन को बाजार की मांग के अनुरूप बनाने तथा बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं या अन्य मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों के बीच साझेदारी को सक्षम बनाना।

स्रोत: **Indian Express: Agree/ Disagree: Legal MSP**
The Wire: Amid Demand for MSP Guarantee, What Can Actually Protect Farmer Lives?